

मु.न. - .....19...../2024

श्रीलाल दत्तक पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी अभयपुरा तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थी -

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 15/01/24

निर्णय


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्टेयर, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हैक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्ट. कुल तादादी 16.2741 हैक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी के पिता का दुलाराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी के पिता का नाम दुलीचन्द सही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के पिता का नाम दुलीचन्द है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्टेयर, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हैक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्ट. कुल तादादी 16.2741 हैक्ट. में प्रार्थी के पिता का नाम दुलीचन्द किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार तारानगर के समक्ष दिये प्रार्थना पत्र में आई पूर्व में प्राप्त रिपोर्ट भू.अ.नि. सात्यू के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपने पिता का नाम दुलाराम की जगह दुलीचन्द करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का दुलाराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी के पिता का नाम दुलाराम की जगह दुलीचन्द दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया भू.अ.नि. सात्यू की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा अभयपुरा तहसील तारानगर के खसरा सं. 142/84 तादादी 6.9800 हेक्टेयर, खसरा सं. 144/87 तादादी 1.7324 हैक्ट., खसरा सं. 148/119 तादादी 7.5617 हैक्ट. कुल तादादी 16.2741 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि प्रार्थी के पिता का नाम दुलाराम Delete कर इसके स्थान पर दुलीचन्द अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/01/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)